संख्या 3926 आर/छ-पु-5-779/90

प्रेषक,

बी0के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 16 नवम्बर, 1990

विषय:- निषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के वर्गीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि जिला प्रशासन को इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि कौन कौन से शस्त्र निषिद्ध बोर की श्रेणी में आते हैं। जिसके कारण लाइसेंस प्राप्त करने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में आपका घ्यान आयुध अधिनियम 1959 की धारा-2 (1) (आई) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निषिद्ध आग्नेयास्त्रों की परिभाषा दी हुई है जो निम्नवत् है:-

(1) Prohibited arms " means"
  (1) firearms so designed or adapted that, if pressure is applied to the trigger, missiles contine to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missiles is empty, or
  (2) weapons of any description designed or adapted for the discharge or any nexious liquid, gas or other such thing, and includes artillery, anti-aircraft and anti-tank firearms and such other arms as the Central Government may, by notification in the official gazette, specify to the prohibited arms;

इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के साथ पारित अनुसूची-1 में आग्नेयास्त्रों का वर्गीकरण किया गया है तथापि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शासनादेश संख्या 6871आर/आठ-5-408/74, दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के प्रस्तर-3 में उन आग्नेयास्त्रों का उल्लेख है जो निषिद्ध बोर की श्रेणी में आते है। सुविधा के लिए पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित शस्त्र निषिद्ध बोर की श्रेणी में आते हैं:-

(1) Bolt action rifles of 303" or 7.62 M.M. bore or any other bore which can chamber and fire sservice ammunition of .303"/7.62 M.M. calibre.
(2) Semi automatic rifles of .303" or 7.62 M.M. bore which can chamber and fire service ammunition of .303" or 7.62 M.M. calibre.

(3) Muskets of .410" bore or any other bore which can fire .410" musket ammunition.
(4) Pistols of any bore which can chamber and fire.380" or 455" rimmed cartridges or service 9 M.M. or .45" rimless cartridges.
(5) Revolvers of any bore which can chamber and fire .380" or 455" rimmed cartridges or service 9 M.M. or .45" rimeless cartridges.
(6) Carbines of any bore which can chamber and fire .380" or .455" rimmed cartridges or service 9 M.M. or .45" rimless cartridges.

मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि यदि किसी मामले में यह सन्देह हो कि अमुक शस्त्र निषिद्ध बोर का है तो उस दशा में जिले के पुलिस लाईसेन्स के रिजर्व इन्सपेक्टर से रिर्पोट भी प्राप्त करके समाधान किया जा सकता है।

भवदीय,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या 3926 आर (1)/छ-पु-5-779/90

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित:-

(1) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।
(4) अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।